

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1941 (श0) (सं0 पटना 842) पटना, वृहस्पतिवार, 18 जुलाई 2019

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना 18 जुलाई 2019

एस० ओ० 346, दिनांक 18 जुलाई 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 212, दिनांक 08 मई, 2019, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 598 दिनांक 08 मई, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:

उक्त अधिसूचना में के पैरा 2 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"परंतु अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 31 जुलाई, 2019 होगी।"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2019 के प्रभाव से प्रवृत होगी।

[(सं बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2036)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव। 18 जुलाई 2019

एस० ओ०. 346 दिनांक 18 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2036)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th July 2019

S.O. 346, Dated 18th July 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department S.O. No. 212, dated the 08th May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598, dated the 08th May, 2019 namely:—

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said **FORM GST CMP-08**, for the quarter April, 2019 to June, 2019, or part thereof, shall be the 31st day of July, 2019.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2019

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2036)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) ४४२-५७१+१० डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in